बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक 11.1.17

संख्या–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 300 /एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–10163–10165/2015, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य से उद्भूत सिविल अपील संख्या (एस0)–9921–9923/2016, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह इत्यादि साथ में सिविल अपील संख्या–9924/2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–75 दिनांक 22.10.2014 एवं द्वितीय अनुशंसा, पत्रांक–20 दिनांक 01.06.2015 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित शेष सफल अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली–1955 के नियम–24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर ₹ 27700–770–33090–920–40450–44700/– के वेतनमान में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	कोटि	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6
1	60	104992	राजेश कुमार दुबे	अनारक्षित	10-07-1982
2	62	101536	रंजन कुमार सिंह	अनारक्षित	02-11-1981
3	63	108786	दिवान फहद खान	अनारक्षित	30-11-1986
4	64	111111	राघवेन्द्र शरण पाण्डेय	अनारक्षित	31-01-1983
5	65	106223	योगेश कुमार मिश्रा	अनारक्षित	03-06-1982
6	66	111655	कुमार गिरिन्द्र गौरव	अनारक्षित	10-01-1978
7	67	104293	मनीष कुमार	अनारक्षित	13-06-1980
8	68	109457	आशुतोष कुमार बिशनोई	अनारक्षित	11-02-1983
9	69	107157	सुशील कुमार श्रीवास्तव	अनारक्षित	02-01-1978
10	71	110200	सुभाष कुमार	अनारक्षित	07-09-1978
11	72	108374	कमलेश सिंह देउ	अनारक्षित	22-05-1980
12	73	107211	प्रदीप कुमार	अनारक्षित	05-03-1980
13	74	105905	योगराज उपध्याय	अनारक्षित	31-01-1980
14	75	110876	प्रशांत कुमार	अनारक्षित	10-05-1980
15	77	111412	मृत्युंजय कुमार	अनारक्षित	12-02-1986
16	78	108773	कुलदीप श्रीवास्तव	अनारक्षित	24-06-1979
17	79	114513	सुनील कुमार सिंह	अनारक्षित	15-03-1987
18	80	114663	दीपक कुमार	अनारक्षित	05-08-1982
19	81	100545	विनय कुमार	अनारक्षित	01-06-1977

20	82	108955	मो0 शहनवाज आलम	अनारक्षित	27-12-1982
21	83	104602	कुमार सौरभ त्रिपाठी	अनारक्षित	01-12-1986
22	85	109075	प्रमोद रंजन	अनारक्षित	07-08-1980
23	86	101472	राजीव कुमार	अनारक्षित	01-01-1981
24	89	110731	सपना रानी	पिछड़ा वर्ग	12-02-1982
25	97	113998	रितु कुमारी	पिछड़ा वर्ग	15-09-1982
26	98	104981	सुस्मिता कुमारी	पिछड़ा वर्ग	29-10-1980
27	104	100011	मनोज कुमार	पिछड़ा वर्ग	12-02-1982
28	111	112106	विधा नन्द सागर	पिछड़ा वर्ग	07-08-1981
29	119	102917	ऋचा रंजन	पिछड़ा वर्ग	17-02-1986
30	130	110445	करूणा निधि प्रसाद आर्य	पिछड़ा वर्ग	10-02-1986
31	133	104456	आरती जयसवाल	पिछड़ा वर्ग	14-11-1987
32	149	110345	चंदन कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग	01-01-1983
33	211	113756	रंजीत कुमार सोनु	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	03-02-1988
34	212	111990	हेमा कुमारी	पिछड़ा वर्ग महिला	02-02-1986
35	217	113028	प्रमोद कुमार शर्मा	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	28-01-1978
36	220	114021	निशा कुमारी	पिछड़ा वर्ग महिला	24-10-1981
37	221	112359	आफताब आलम	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	01-03-1979
38	222	111563	हेमंत कुमार	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	02-09-1988
39	223	114580	कुमारी ज्योत्सना	पिछड़ा वर्ग महिला	16-02-1986
40	229	110960	दिव्या अमल	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	05-10-1983
41	231	110571	राजीव रंजन	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	29-12-1978
42	244	109195	मो0 मंजूर आलम	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	24-02-1981
43	247	103287	दामोदर कुमार	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	08-03-1982
44	248	108728	सुशांत कुमार	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	03-02-1988
45	307	101890	उदय प्रताप	अनुसूचित जाति	21-05-1972

2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2016 को पारित आदेश की कंडिका–19 में वर्णित शर्त्तों के अधीन होगी। उपरोक्त तालिका के सूची क्रमांक 1 से 23 तदनुसार मेधा क्रमांक 60 से 86 तक के द्वितीय अनुशंसा के अभ्यर्थियों के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रथम अनुशंसा से क्रम संख्या 24 से 44 तदनुसार मेधा क्रमांक 89 से 248 के अभ्यर्थी अर्थात् 21 अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा रही है । उल्लेखनीय है कि क्रमांक 45 पर अंकित श्री उदय प्रताप दोनों अनुशंसा में सम्मिलित है। इस प्रकार क्रमांक 24 से 44 तक के अभ्यर्थी 118 के बाद के रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित होंगे ।

6. बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25 (ख) के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उस अवधि के लिए संदत्त प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उनसे वसूलनीय होगी।"

7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थियों की सेवायें उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/1/17

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 300 /पटना–15, दिनांक 11.1.17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/1/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 300 /पटना–15, दिनांक 11.1.17

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि पदभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय आदि से संबंधित प्रमाण–पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लिया जाय। किसी तरह की विसंगति पाये जाने की स्थिति में विभाग को तुरन्त अवगत कराया जाय ताकि आवश्यक कार्रवाई किया जा सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त पदाधिकारियों से सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करने का निदेश देने की कृपा की जाय।

11/1/17
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 300 /पटना–15, दिनांक 11.1.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0 दावा नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/1/17
सरकार के अपर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 ...300................................/पटना–15, दिनांक...11-1-17...
सभी नवनियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

श्री/श्रीमती ....

पिता/पति का नाम ....

ग्राम/मो0 ....

पो0 .... जिला ....

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उच्च न्यायालय, पटना में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान समर्पित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11/1/17
सरकार के अपर सचिव।

फोटोग्राफ

D/DRIVE/SEC-07/ JUDICIAL APPOINTMENT